मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्र:एफ1/42/04-पीएमयू/1655 भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2009

परिपत्र

विषय :- प्रदेश में जन-निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिये India Infrasrtucture Project Development Fund के संबंध में दिशा निर्देश। **(परिपत्र क्र.14)**

संदर्भ :-इस विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ1/42/04-पीएमयू/84 दिनांक 09-1-2008 (परिपत्र क्र.9) एवं परिपत्र क्रमांक एफ1/42/04-पीएमयू/ 2127 दिनांक 20-10-2008 (परिपत्र क्र.12)

=O=

कृपया उपरोक्त संदर्भित परिपत्र क्रमांक-9 एवं 12 का अवलोकन करनें का कष्ट करे, जिसके द्वारा प्रदेश में जन-निजी भागीदारी परियोजनाओं के विकास हेतु India Infrasrtucture Project Development Fund से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ।

2. भारत सरकार द्वारा ज्ञापन क्रमांक एफ.क्र 7/2/2007-पीपीपी दिनांक 25-08-08 एवं क्रमांक एफ.क्र 7/2/2007-पीपीपी दिनांक 28-08-08 द्वारा अवगत कराया गया है कि India Infrasrtucture Project Development Fund (IIPDF) से सहायता प्राप्त करनें के लिए उन समस्त Sectors की परियोजनायें पात्र है, जो V.G.F. (Viability Gap Funding) के अधीन वित्तीय सहायता हेतु पात्रता रखती हैं । इसके अतिरिक्त IIPDF से सहायता हेतु **स्वास्थ्य** एवं **शिक्षा** के क्षेत्र में जन-निजी भागीदारी परियोजनाओं को भी पात्रता रहेगी । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि V.G.F. के अधीन वित्तीय सहायता प्राप्त करनें हेतु निम्न Sectors की अधोसंरचना परियोजनाओं को पात्रता है:-

1. सड़कें एवं पुल, रेल्वे, बन्दरगाह, हवाई-अड्डा, आंतरिक जल-रास्ता
2. उर्जा
3. शहरी यातायात, जल-प्रदाय, मल-जल, ठोस-अपशिष्ट प्रबंधन एवं शहरी क्षेत्र में अन्य भौतिक अधोसंरचना

4. विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zones) अन्तर्गत अधोसंरचना परियोजनायें

5. अंतर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन सेंटर एवं अन्य पर्यटन अधोसंरचना परियोजनायें

3. भारत सरकार द्वारा ज्ञापन क्रमांक एफ.क्र 7/2/2007-पीपीपी दिनांक 15-07-09 द्वारा अवगत कराया गया है कि India Infrasrtucture Project Development Fund (IIPDF) से सहायता प्राप्त करनें के लिए **अर्ध-नगरीय क्षेत्रों** (Semi Urban areas) की जन-निजी भागीदारी पर आधारित अधोसंरचना परियोजनायें भी पात्र है ।

4. भारत सरकार द्वारा अधोसंरचना परियोजनाओं की तैयारी को गति देनें के लिये India Infrasrtucture Project Development Fund (IIPDF) की स्थापना की गई है। IIPDF का उद्देश्य संभावनापूर्ण जन-निजी भागीदारी परियोजनाओं की तैयारी के व्यय, जिनमें सलाहकारों की सेवा पर होने वाले व्यय भी शामिल है, को वित्तपोषित करना है, जिससे सफल जन-निजी भागीदारी परियोजनाओं की संख्या एवं गुणवत्ता बढाई जा सके ।

5. IIPDF से सामान्यतया परियाजनाओं के विकास से संबंधित व्यय के 75 % तक सहायता प्राप्त होगी । निविदा प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर सफल निविदाकार से उक्त व्यय की वसूली की जावेगी तथापि निविदा के असफल होने की स्थिति में सहायता राशि की वसूली नहीं की जावेगी । ऐसी स्थिति में जबकि निविदा प्रक्रिया पूर्ण नही की जाती अथवा निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत अनुबंध नही किया जाता है, क्रियान्वयन एजेन्सी को सहायता राशि लौटानी होगी।

अतएव सम्बन्धित विभागों से अनुरोध है कि जन-निजी भागीदारी परियोजनाओं की तैयारी के लिए भारत सरकार द्वारा निर्मित IIPDF से अधिकाधिक सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया जावे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में शासकीय स्त्रोतों से अधोसंरचना परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता नही होने के कारण अधिक से अधिक जन-निजी भागीदारी के अंतर्गत वित्तीय सहायता से अधोसंरचना परियोजनाओं का क्रियान्वयन राज्य शासन के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य है ।

(मनीष सिंह)
संचालक, संस्थागत वित्त एवं
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग

क्र:एफ1/42/04-पीएमयू/1656 भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2009

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, म0प्र0 शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
2. मुख्य सचिव के विशेष सहायक, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव/सचिव म.प्र. शासन वित्त/योजना/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/ नगरीय प्रशासन एवं विकास/ लोकनिर्माण/उर्जा/परिवहन/विमानन/पर्यटन/वाणिज्य एवं उद्योग/नर्मदा घाटी विकास/जल संसाधन/स्कूल शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/उच्च शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल ।
4. संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/ नगरीय प्रशासन एवं विकास/लोकनिर्माण/उर्जा/परिवहन/विमानन/पर्यटन/वाणिज्य एवं उद्योग/नर्मदा घाटी विकास/जल संसाधन/स्कूल शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/उच्च शिक्षा/ चिकित्सा शिक्षा/परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग, भोपाल ।
5. प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य सडक विकास निगम/ लधु उद्योग निगम/ पर्यटन विकास निगम/ औद्योगिक विकास निगम/ सडक परिवहन निगम/बायोटेक्नालाजी काउंसिल/ इलेक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन ।
6. संयुक्त संचालक, संचालनालय संस्थागत वित्त, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

संचालक, संस्थागत वित्त एवं
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग

PS Finance/ 29.8.4
In
Out 3 AUG 2009

2271
3-8-09

07/02/2007-PPP
Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
(PPP Cell)

New Delhi, the July 15, 2009

OFFICE MEMORANDUM

Subject : **Scheme and Guidelines for India Infrastructure Project Development Fund.**

The undersigned is directed to refer to this Department Notification of even number dated December 5, 2007 on the above subject, subsequent Amendment of even number dated 22nd August, 2008 and OM of 28th August, 2008 regarding the sectors eligible under the Scheme, and to convey that PPP Infrastructure Projects in semi urban areas are eligible under the Scheme for India Infrastructure Project Development fund (IIPDF).

This issues with the approval of Finance Minister.

(Aparna Bhatia)
Joint Director (PPP)
Tel. 2309 44 43

03 AUG 2009
PS, Finance

To

1. **All Secretaries of the Government of India**
2. **Chief Secretaries of the States/Administrators of Union Territories**
3. **PPP Nodal Officers**

Copy to :

All members of the Empowered Institution

Copy also to :

Sr. PPS to FS/PPS to AS (EA)/PS to JS(I&I)

(Aparna Bhatia)
Joint Director (PPP)
Tel. 2309 44 43

JD(PPP)
ASO(A)
6/8

57 Ds (MS) Finance/09
06-08-09